कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ।

पत्रांक 1671 / Aligarh/13881/UP-134/2015, अलीगढः दिनांकः अक्टूबर, 28. ,2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

विषयः– **अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम–उखलना के खसरा सं0–1470 में विकसित किये जा रहे एस्सार ऑयल लिमिटेड के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।**

संदर्भः– भारत सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक 8बी / यू0पी0 / 06 / 34 / 2018 / एफ0सी0 / 30 दिनांक 12.04.2018, मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक 2973 / अलीगढ़ / 13381 / 2015 दि0 24.04.2018 एवं 2167 / 11–सी0 दिनांक 17.05.2019 एवं आपका पत्रांक 1965 / 14–10 दि0 11.12.2018, 1319 / 14–10 दि0 09.10.2018, 3088 / 14–1 दिनांक 03.06.2020

महोदया,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ के संदर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रस्ताव में लगायीं गयीं आपत्तियों का निराकरण कर, निम्न प्रकार कर संशोधित अभिलेख–04 प्रतियों में संस्तुति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

S.No.	Objection	Reply
1	Area calculation sheet has not been provided.	Area calculation sheet प्रस्ताव में पूर्व में ही संलग्न की गयी है। संलग्न Area calculation sheet की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–1)**
2	Area calculation should be as per guidelines of Ministry of Road Transport Highway (MoRTH).	प्रभावित वनभूमि की गणना, सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय के गाइडलाइन्स के अनुसार की गयी है। इस सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र मूल प्रस्ताव में संलग्न किया गया है। जिसकी छायाप्रति संलग्न कर, प्रेषित है। **(संलग्नक–2)**
3	CD of Kml file is not provided with the proposal.	Kml file की सी0डी0, संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–3)**
4	Kml file uploaded and Geo reference map do not match.	संशोधित kml file एवं Geo referenced map की प्रति, उनका मिलान कर, सी0डी0 व हार्ड कॉपी में संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–4)**
5	Original Topsheet of proposed land and C.A. land have not been given with the proposal.	प्रस्तावित वनभूमि एवं क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चिन्हित सलि की मूल टोपशीट संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–5)**

इसके अतिरिक्त अवगत कराना है कि प्रयोक्त एजेंसी द्वारा रिटेल आउटलेट का भारत सरकार से विधिवत् अनुमति प्राप्त किये बिना ही सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य पूर्ण कराकर, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया है। जिसका मौका निरीक्षण पर तथ्य सही पाये जाने पर, क्षेत्रीय वन अधिकारी, अलीगढ़ रेंज द्वारा केस सं0 32 / 18–19 / अलीगढ़ दिनांक 23.02.2019 जारी कर विधिक कार्यवाही की गयी है। प्रकरण में तत्कालीन प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रश्नगत स्थल के निरीक्षण दिनांक 23.10.2019 पर पाया गया कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्तावित स्थल पर वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग कर, सम्पर्क मार्ग निर्माण कर लिया है। प्रयोक्ज एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 क उल्लंघन किये जाने के फसलस्वरूप भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.01.2018 के प्राविधानों के अनुसार निम्न कार्यवाही पूर्ण की गयी है।

क्र0 सं0	बिन्दु संख्या	अनुपालन आख्या (मय संलग्नकों सहित)
(i)	The penalty for violation shall be equal to NPV of forest land per hectare for each year of violation from the date of actual diversion as reported by the inspection officer with maximum upto five (5) times the NPV plus 12 percent simple interest till the deposits is made.	Penalty Calculation Certificate एवं संशोधित एन0पी0वी0 दरों के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–6 एवं 7)**
(ii)	In case of public utility projects of the government the penalty shall be 20% of the penalty proposed in para (i) above.	प्रकरण में मान्य नहीं है।
(iii)	State government will initiate disciplinary action against the official concerned for not being able to prevent use of forest land for non-forestry purpose without prior approval of Government of India.	उल्लंघन के लिये जिम्मदार अधिकारियों / कर्मचारियों को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही न किये जाने के फलस्वरूप कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। (छायाप्रति संलग्न)– **(संलग्नक–8)**
(iv)	User Agency responsible for violation shall be prosecuted under local act of the state for unauthorized use of forest land without the permission of state authority.	प्रयोक्ज अभिकरण द्वारा प्रस्ताव में सक्षम स्तर से बिना अनुमति प्राप्त किये, रिटेल आउटलेट के निर्माण किये जाने के कारण वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया है। इस संबंध में प्रयोक्त एजेंसी पर की गयी कार्यवाही के संबंध में निम्न आवश्यक अभिलेख संलग्न हैं– 1. प्रभागीय निदेशक, अलीगढ़ की Site Inspection Report दिनांक 23.10.2019। **(संलग्नक–9)** 2. वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ द्वारा वन (संरक्षण) नियमावली, 2003 की धारा–9 (1) के अन्तर्गत प्रयोक्त एजेंसी को पत्र सं0 1432 / 14–1 दि0 30.10.2019 द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस की प्रमाणित छायाप्रति। **(संलग्नक–10)** 3. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के विषय में 04 बिन्दुओं की बिन्दुवार आख्या का उल्लंघन प्रस्ताव की छायाप्रति। **(संलग्नक–11)** 4. भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 32 / 33 के तहत जारी एच0 2 केस की सत्यापित प्रति संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–12)**

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

28/10/22

(दिवाकर कुमार वशिष्ठ)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक / दिनांकित

प्रतिलिपिः– डिवीजनल मैनेजर, नायरा एनर्जी लि0 (पूर्व में एस्सर ऑयल लि0), वर्ल्ड ट्रेड टावर, 1105–06 ग्यारवां तल, सेक्टर–16, नोएडा–201309 (उ0प्र) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

C:\Users\RS\Downloads\CA Scheme (1).doc